58882
24.4.17

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), बिहारशरीफ(नालन्दा)
जिला– नालन्दा

2 4 APR 2017
प्राप्ति तिथि

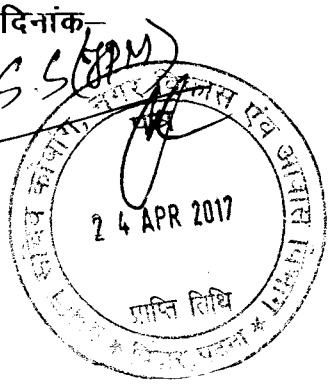

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहारशरीफ(नालन्दा) के जनवरी 2010 से नवंबर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 999 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

25 APR 2017
3751

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14661/19 दिनांक– 18-04-2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, नालन्दा

18/04/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

## निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 999/16–17

## भागः–I

## प्रस्तावना

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | निरीक्षित कार्यालय का नामः– | कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा | |
| 2. | लेखा परीक्षा का क्षेत्रः– | कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा के जनवरी 2010 से नवंबर 2016 तक के लेखाओं की नमूना जॉच की गयी। | |
| 3. | कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पताः | ई0 नवीन कुमार सिंह | 19.06.09 से 21.08.11 |
| | | ई0 अजीत कुमार सिंह | 22.08.11 से 12.09.11 |
| | | ई0 संत कुमार सिंह | 13.09.11 से 08.07.12 |
| | | ई0 किशोरी प्रसाद देव | 09.07.12 से 21.7.15 |
| | | ई0 प्रकाश चन्द्र | 22.7.15 से 14.7.16 |
| | | ई0 मनोरंजन कुमार पाण्डेय | 15.7.16 से अबतक |
| 3. | लेखा परीक्षा की तिथिः– | 13.12.16 से 23.12.16 | |
| 4. | लेखा परीक्षा दल के सदस्यगणः– | श्री रितेश आनंद स.ले.प.अ.<br>श्री सुजीत कुमार, स.ले.प.अ.<br>श्री कुमार अग्निवेश, ले.प. | |
| 5. | पर्यवेक्षण पदाधिकारी का नामः– | – | |
| 6. | क्या विभागीय उच्चाधिकारी/वित्त विभाग द्वारा लेखा अभिलेखों का निरीक्षण किया गया ? | नहीं | |
| 7. | क्या पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई :– | प्रथम लेखा परीक्षा | |
| 8. | सामान्य अभ्युक्तिः– | जिन आपत्तियों का निराकरण लेखा परीक्षा के दौरान नहीं हो पाया उसे इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है। | |
| 9. | क्या आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गयाः– | हॉ दिनांक 23.12.16 को विचार विमर्श किया गया । | |

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

Disclaimer Certificate

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा, द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना एवं लेखा अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी गलत और/या अपूर्ण सूचना की सत्यता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

## भाग–II खण्ड (क)

## शून्य

## भाग–II (ख)

**कंडिका 1–परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना–रू0 79.99 लाख**

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सहपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

1. जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), नालंदा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा HDFC, बिहारशरीफ में बी0ओ0क्यू0 के लिए संधारित बचत खाता सं0– 50100159207933 में जमा किया गया था। यह पाया गया कि इस खाते में दिनांक– 30.01.2010 (प्रथम पासबुक) से 02.11.2016 तक ब्याज सहित रू0 79,99,221.00 जमा थी। परन्तु, यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा नहीं की गयी थी। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग 6 साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया।
   कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि बी0ओ0क्यू0 बिक्री की राशि उचित शीर्ष की जानकारी के अभाव में बैंक खाते में ही रखी गयी है। कोषागार से उचित शीर्ष की जानकारी प्राप्त कर सभी राशि को अतिशीघ्र जमा कर दिया जाएगा एवं लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा।
   अतः बी0ओ0क्यू0 बिक्री की राशि उचित शीर्ष में जमा कर अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाय।

2. आगे यह देखा गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा कार्यालय में बी.ओ.क्यु बेचने के समय कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद (token of receipt) में संवेदक को निर्गत की जाती है। कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि रसीद जिला नजारत से प्राप्त हुई है, परन्तु इससे संबधित कोई भंडार पंजी कार्यालय में संधारित नहीं पाया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कितनी संख्या में रसीद जिला नजारत द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी एवं कितना रसीद अभी तक token of receipt के रूप में विभिन्न संवेदकों को निर्गत किया गया है। अंकेक्षण के दौरान दल को निम्नलिखित रसीद बुक जांच के लिए उपलब्ध कराया गया–

1. 755351 से 755400
2. 755401 से 755450
3. 755451 से 755500
4. 755501 से 755550
5. 755551 से 755600
6. 755601 से 755650
7. 755651 से 755700
8. 7556701 से 755750
9. 800101 से 800150
10. 800151 से 800200
11. 800201 से 800250
12. 800301 से 800350
13. 800351 से 800378

रसीद बुक 800251 से 800300 अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण नालंदा में स्थायी कर्मी के अभाव एवं कार्यरत दैनिक मजदूर की जानकारी के अभाव के कारण भंडार पंजी संधारित नहीं की गयी है। अतः जिला नजारत से डूडा नालंदा को जारी की गई मनी रसीद की जानकारी प्राप्त कर पंजी संधारित कर ली जाएगी एवं लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त का अनुपालन अतिशीघ्र सुनिश्चित कर अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाये।

3- बिहार वित्त नियमावली के अनुसार सरकारी राजस्व के रूप में किसी कार्यालय द्वारा प्राप्त राशि को उसी दिन या अगले कार्यदिवस को सरकारी खाते में जमा करना है, परन्तु डूडा कार्यालय, नालंदा के द्वारा संधारित बी.ओ.क्यु के रूप में प्राप्त सरकारी राजस्व राशि से संबंधित बैंक पासबुक में डिमांड ड्राफ्ट का सही उल्लेख नहीं होने के कारण रोकड़ पंजी एवं पासबुक का मिलान नहीं किया जा सका तथा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि यह राशि कब बैंक में जमा की गयी थी।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण की राशि DD के रूप में प्राप्त होता है जो विभिन्न बैंकों का होता है इसे क्लीयर होने में समय लगने के कारण दूसरे दिन अथवा कई दिन तक इसकी निकासी नहीं हो पाती है जिसके कारण यह राशि कोषागार में समय पर नहीं जमा हो पाती है तथा डूडा कार्यालय

के पास जो भी बी0ओ0क्यू0 की राशि है उसे अतिशीघ्र चालान के द्वारा कोषागार के उचित शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा एवं लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

**कंडिका 2–बैंक खातों में प्राप्त ब्याज राशि को सरकार को वापस नहीं किया जाना**

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – को0प्र0/विविध–06/2015/4349; दिनांक– 12.05.2015 के अनुसार स्थानीय अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों को बैंक खातों में रखा जाता है। पी0एल0 खाते में जमा राशि सरकार के राजकोष में रहती है, लेकिन बैंक खातों में जमा राशि सरकार के राजकोष से बाहर रहती है जिससे राज्य का नगद अंतशेष कम होता है। उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–1 में यह निर्देश दिया गया था कि जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में जमा अव्यवहृत राशि पी0एल0 खाते में जमा करायी जाए। अव्यवहृत लोक धन पर उदग्रहित ब्याज राशि को अभिकरण के खाते में आय के रूप में नहीं लिया जाए तथा ब्याज राशि सरकार को चेक के माध्यम से वापस की जाए ताकि उसे सुसंगत शीर्ष में जमा कराया जा सके।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), नालंदा द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़बहियों एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि डूडा, नालंदा द्वारा जनवरी 2010 से नवंबर 2016 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, राजस्व से प्राप्त (बी0 ओ0 क्यू0), प्रशासनिक भवन आदि मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशियों को विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था, जिन पर ब्याज के रूप में दिनांक 02.11.16 तक कुल रू0 24738311 प्राप्त किया गया था। परंतु, इस ब्याज राशि को वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में सरकार के खाते में वापस नहीं किया गया था तथा ब्याज राशियों को रोकड़बही में अभिकरण की आय के रूप में लिया गया था। विवरण इस प्रकार है –

| क्रम सं0 | रोकड़बही का नाम | 01.12.16 को सूद की राशि |
|---|---|---|
| 1. | मुख्यमंत्री नगर विकास योजना | 16673667 |
| 2. | वेतन | 116173 |
| 3. | विविध | 1383747 |
| 4. | एम.एल.सी. | 92200 |
| 5. | स्लम विकास | 888208 |
| 6. | प्रशासनिक भवन एवं राज्य योजना | 5551205 |
| 7. | कृषि | 33111 (दिनांक 03.02.13 अंकित है) |
| **कुल** | | 24738311 |

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि बैंक खातों में प्राप्त सूद की राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा एवं अंकेक्षण कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा।

**कंडिका 3–ढुलाई पर अनियमित भुगतान रु 42.56 लाख**

वित्त विभाग के पत्रांक 165 दिनांक 12.1.2006 में यह स्पष्ट आदेश है कि सामग्रियों का क्रय उन्हीं संस्थानों से किया जाना है जो वैट से निबंधित हो साथ ही निर्माण कार्य में लघु खनिज यथा –पत्थर, बालू, ईट, मिट्टी एवं अन्य का उपयोग संवेदकों द्वारा किया जाता है उक्त लघु खनिज की खरीदारी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक, या उप – पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र ' एम' तथा 'एनं' में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके प्रपत्र ' एम' तथा 'एनं' के शपथ को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा प्रपत्र ' एम' तथा 'एनं' में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवम अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है ।

योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया की ढुलाई पर रु. **4256275** व्यय किया गया परन्तु किसी भी अभिलेख में न ही चालान और न ही प्रपत्र ' एम' तथा 'एनं' कार्यकारी एजेंसी द्वारा सलंग्न किया गया था जबकि सभी योजनाओं में कार्यकारी एजेंसियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है जिसका विवरणी परिशिष्ट– । पर संलग्न है।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि डूडा कार्यालय, नालंदा में F2 agreement के तहत सामान्यतः class IV संवेदक कार्य करते है, किसी योजना में class III संवेदक कार्य करते है। इनके कार्यों में प्रयुक्त स्टोन चिप्स, बालू, ईंट, मिट्टी आदि स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता से ही प्राप्त करते हैं। उक्त परिस्थिति में इनके द्वारा एम0 एवं एन0 फार्म समर्पित करना संभव नहीं है। चूंकि सामग्री पर ही भाड़ा का भुगतान स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ले लिया जाता है और कभी–कभी तो प्रावधानिक दर से अधिक दर पर भी संवेदकों का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से संवेदक एम0 एवं एन0 फार्म जमा नहीं कर पाते है। भविष्य में एम0 एन0 फार्म जमा करने हेतू संवेदकों को निर्देशित किया जाएगा।

**कंडिका– 4 अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता– ₹8.49 लाख**

अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक –प्र06/1!बी0–122003 3376 एस दिनांक 17.08.2010 में दिये गये निर्देश के अनुसार अगर कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन में Serious Unbalanced कम दर पर अपनी निविदा मे उद्वत किया जाता है तो उनसे लिखित रूप में मद का विस्तृत दर विश्लेषण प्राप्त किया

जाय कि वे इस कार्य को कैसे संपादित करायेगें तथा Serious Unbalanced दर के लिए संवेदक से Additional Performance Guarantee की माँग की जाय।

1. परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी।

2. परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी।

3. परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 1 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी।

कार्यपालक अभियन्ता **जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा** के लेखाभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि निम्न योजनाओ की निविदा में सफल संवेदकों द्वारा परिमाण विपत्र दर से 1 से 15 प्रतिशत कम दर उद्वत किया गया था परन्तु उनसे नियमानुसार Additional Performance Guarantee जमा नही करायी गयी थी। विवरण निम्न प्रकार से है :–

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना सं0 | एकरारनामा संख्या | **प्राक्कलित राशि : रु** | एकरारित राशि :रु | कम दर | A.P.G. मूल्य @ 8.75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सूर्य मंदिर तालाब के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण तक फूटपाथ निर्माण एवं बैठने के लिए 5 स्थान पर बैच निर्माण | NIT09/13-14 (Gp 3) | 61 F2/2013-14 | 1906022 | 1620119 | 15% | 141760 |
| 2 | डॉ0 भीम राव अंबेदकर सेवा सदन (सामुदायिक भवन )का निमार्ण गॉधी टोला, महादलित टोला राजगीर, प्लॉट नं0–2455, खाता नं0– 333 | NIT13/13-14(gp5) | 70 F2/2013-14 | 1004885 | 854152 | 15% | 74738 |
| 3 | ग्रम महादेवपुर के वार्ड नं0 8 फलहारी बाबा के निकट सार्वजनिक तालाब के शेष भाग का सीढी एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 36/12-13 | 33 F2/2012-13 | 630919 | 536281 | 15% | 46925 |
| 4 | वार्ड नं0 2 मुहल्ला सहोखर में स्व0 मिस्त्री पासवान के मकान से प्रमोद कुमारं श्री मुन्ना पटेल होते हुए मुख्य मार्ग एवं एन. एच. 31 तक नाली निर्माण एवं पी.सी.सी. ढलाई | 27/12-13 | 32 F2/2012-13 | 760461 | 646392 | 15% | 56559 |
| 5 | वार्ड नं.2 बबुनबन्ना में स्व. पैरू महतों के मकान से महादेव महतो के मकान तक आवश्यकतानुसार नाली निर्माण एवं पी.सी.सी. ढलाई | 28/12-13 | 48 F2/2012-13 | 1745364 | 1483559 | 15% | 129811 |
| 6 | सिलाव कराह बाजार में महादलित रविदास टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण शौचालय के साथ | 15/13-14 | 10 F2/2014-15 | 1012280 | 860438 | 15% | 75288 |
| 7. | रामचन्द्रपुर बस स्टैड का विकास कार्य | NIT/18/13-14 | 15 F2/2014-15 | 10656187 | 10266170 | 3.66% | 128327@ 1.25% |
| 8. | वार्ड नं0 46 श्रीनगर संगतपर शांति निकेतन विधालय से श्री किशोर साह के मकान के कोना तक बडा नाला एवं पी. सी. सी. ढलाई एव अन्य कार्य | NIT07/13-17 (GP7) | 13F2/2013-14 | 1050603 | 893013 | 15% | 78139 |
| 9. | वार्ड नं. 31 महलपर पीपल पेड़ स्थित श्री कृष्ण साव के मकान से भोला शर्मा के मकान होते हुए संजय चौधरी के मकान तक मिटटी भराई ईंट सोलिंग नाली निर्माण एवं पी.सी0सी0 ढलाई | NIT07/13-14 (GP10) | 10F2/2013-14 | 1578775 | 1341959 | 15% | 117421 |
| | | | | | | | 848968 |

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि चूंकि उपरोक्त योजना समाप्त हो चुकी है एवं security money संवेदकों को वापस की जा चुकी है। अतः अब से चलायमान योजनाओं में अंकेक्षण द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

**कंडिका 5– विलम्ब शुल्क की कम कटौती ₹ 14.47 लाख**

F2 Agreement के Condition Of Contract Clause 2 के अनुसार the Contractor will be liable to pay as compensation an amount equal to $\frac{1}{2}$% on the said estimated cost of the whole work every day that the due quantity of work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost of the work.

| Sl No. | Scheme No & year | Estimate Amt. | Actual Date of completion | Agreement date of Completion | Agreement Amt. | Delay more than 20 days, @10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84/10-11 | 2,023,700.00 | 10.05.12 | 05.10.11 | 1,863,345.00 | 202370 |
| 2 | 16/12-13 | 1,826,800.00 | 30.06.13 | 26.02.13 | 1,732,902.00 | 182680 |
| 3 | 21/14-15 | 1,259,600.00 | 21.09.15 | 16.06.15 | 944,339.00 | 125960 |
| 4 | 17/14-15 | 1,234,300.00 | 20.08.15 | 16.05.15 | 1,057,904.00 | 123430 |
| 5 | 15/14-15 | 698,997.00 | 19.01.16 | 16.05.15 | 629,097.00 | 69899 |
| 6 | 73/10-11 | 657,000.00 | 30.11.11 | 23.07.11 | 636,920.00 | 65700 |
| 7 | 9/12-13 | 556,600.00 | 26.06.13 | 04.02.13 | 529,366.00 | 55660 |
| 8 | 47/10-11 | 534,000.00 | 13.12.11 | 30.09.10 | 460,122.00 | 53400 |
| 9 | 52/10-11 | 1,467,500.00 | 12.04.11 | 05.12.10 | 1,430,536.00 | 146750 |
| 10 | NIT12/13-14 | 4,209,900.00 | 13.02.15 | 25.11.14 | 3,927,903.00 | 420990 |
| | | | | Total | | 1446839 |

उपर की विवरणी से स्पष्ट है कि संवेदक को अदेय लाभ पहुँचाया गया। कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि चूकिं उपरोक्त योजना समाप्त हो चुकी है एवं security money संवेदकों को वापस की जा चुकी है। अतः अब से चलायमान योजनाओं में अंकेक्षण द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार कटौती नहीं की गयी है।

**कंडिका 6–मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत स्थगित योजनाओं की राशि का अवरोधन- रु 45.59 लाख**

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार निम्न योजना निविदा नही होने के कारण स्थगित हो गयी है परन्तु जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संबंधित राशि अभी तक सरकार को वापस नहीं की गयी है विवरण निम्न है

| क्रम स० | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख में) | समाहरणालय द्वारा विमुक्त राशि(लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बिहारशरीफ नगर निगम के वार्ड नं0 20 शिवाजी कॉलोनी में श्री विशेश्वर साव के मकान से श्री सुशील जी के मकान होते श्री ललन जी के मकान तक नाली निर्माण एवं पी0सी0सी0 कार्य (2015–16) | 10.610 | 5.305 |
| 2 | बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत महलपर से मणिराम बाबा अखाड़ा तक स्व चालित पोल सहित एल0ई0डी0 लाईट का अधिष्ठापन (2015–16) | 33.040 | 16.520 |
| 3 | आसीम बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल, हैदरगंज कड़ाह में हाई मास्ट लाईट का निर्माण (2015–16) | 6.211 | 3.106 |
| 4 | नगर पंचायत, सिलाव के वार्ड नं0 12 में कब्रिस्तान में मास्टर लाईट का अधिष्ठापन कार्य (2015–16) | 6.204 | 3.102 |
| 5 | वार्ड सं0 2 पंडितपुर में विपीन प्रसाद के घर से राजेन्द्र राजवंशी के घर तक पी0सी0सी0 एवं ईंट सोलिंग (2015–16) | 1.570 | 0.785 |
| 6 | वार्ड सं0 1 में ग्राम पंडितपुर में सतीश वर्मा के घर से भोला स्थान मंदिर तक ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 एवं पी0सी0सी0 ढलाई (2015–16) | 1.873 | 0.937 |
| 7 | नगर पंचायत राजगीर के वार्ड 7 राजगीर चकपर यद्दु राम के घर से अरुण राम के घर होते हुए बेनी राम के घर तक पी0सी0सी0 ढ़लाई एवं नाला निर्माण (2015–16) | 6.737 | 3.369 |
| 8 | नगर पंचायत राजगीर के वार्ड 5 में पारस राम के घर से बी0आर0सी0 रोड तक ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 ढ़लाई कार्य (2015–16) | 1.419 | 0.710 |
| 9 | वॉड नं. 19 आकाशियम रज्जू मार्ग टमटम पड़ाव में घोड़ा पिआउ पानी टंकी का निर्माण (2015–16) | 5.324 | 2.662 |
| 10 | झुनकी बाबा मंदिर से चकपर तक पथ का जीर्णोद्धार (2015–16) | 6.270 | 3.135 |
| 11 | वार्ड नं0 6 में बरबिघा में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का निर्माण (2015–16) | 11.917 | 5.959 |
| | कुल | 91.175 | 45.59 |

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा बताया गया कि राशि ₹ 91.175 सरकार को जमा की जा चुकी है, जिसका साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तुत योजना विवरणी के अनुसार कुल ₹45.59 लाख उपरोक्त योजना के लिए समाहरणालय द्वारा विमुक्त की गयी थी परंतु अभिकरण द्वारा कुल ₹91.175 लाख सरकार को जमा किया गया था। अंतर का कारण स्पष्ट कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

**<u>कंडिका 7–लेबर सेस की राशि कटौती कर अनियमित रूप से अवरूद्ध रखा जाना रू0 2.79 लाख</u>**

केन्द्रीय अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा सभी कार्य विभागों को यह निर्देश दिया गया था कि सभी कार्यो से कार्य लागत का एक प्रतिशत राशि काटकर कर्मकार कन्याण बोर्ड को जमा किया जाए। कटौती की गई राशि को एक माह के अन्दर संयुक्त श्रमायुक्त सह सचिव, बिहार भवन एवं अन्य कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन, पटना–15 के नाम से जमा करा दिया जाए। विफलता पर लेबर सेस की राशि का 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार करने का प्रावधान भी था।

**जिला शहरी विकास अभिकरण**, नालंदा के अभिलेखों का नमूना लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यालय द्वारा कार्य विपत्रों से लेबर सेस मद में 1 प्रतिशत की राशि की कटौती किया जा रहा था परंतु माह नवंबर 2016 तक लेबर सेस की राशि ₹ 208617 नियमानुसार 1 माह के अन्दर श्रमायुक्त सह सचिव के पास जमा नहीं कराया गया था।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा द्वारा बताया गया कि श्रम सेस की राशि को संबंधित शीर्ष में जमाकर अंकेक्षण कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा एवं भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

**<u>कंडिका 8–वार्ड नं0 20 बड़ी पहाड़ी मुख्य मार्ग के उत्तर तरफ स्थित श्री वेहस्पत प्रसाद के मकान से श्री चन्द्रभूषण प्रसाद के मकान के निकट स्थित पुलिया तक नाला का निर्माण।</u>**

निविदा आमंत्रण सूचनाः 19/2014–15 ग्रुप सं0–13
कार्य का प्रशासनिक स्वीकृतिः ₹ 8.19 लाख।
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि :₹ 8.19 लाख।
B.O.Q के अनुसार राशिः ₹ 7.88 लाख।
निविदा का दिनांकः 13.01.2015।
निविदा भरने का अंतिम दिनांकः 08.02.2015।
बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि : 07.02.2015।
एकरारनामा की राशिः 7.09 लाख (B.O.Q के 10 प्रतिशत कम दर पर)।
संवेदक का नाम :– श्री रामबाबू।
एकरारनामा सं. :– 11/F2/15-16
कार्यादेश की तिथिः– 30.3.15
कार्य समाप्त करने का दिनांकः तीन माह। 29.06.2015
कार्य समाप्ति का दिनांकः 29.09.2015।
उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियॉ/अनियमितताएँ पाई गई।

**01. <u>निविदा के लिए पर्याप्त समयावधि नहीं दिया जाना</u>**

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 (ज) v के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद

में हो, से तीन सप्ताह की होगी। जहाँ विभाग विदेशों से आमंत्रण (बोली) प्राप्त करने की इरादा रखती है तो वहां देशी एवं विदेशी बोलीकर्त्ता दोनों के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।
नमूना जॉच में पाया गया उक्त कार्य के लिए निविदा प्रकाशन का दिनांक 13.01.2015 एवं बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि 7.02.2015 था। जबकि उक्त नियमानुसार निविदा समर्पित करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह अर्थात 28.02.2015 होना चाहिए था परन्तु कार्यालय द्वारा निविदा बिक्री के दिन अथवा निविदा प्रकाशन से मात्र 01 (8.2.2015) दिन का समय दिया गया जो उक्त नियम का उल्लंघन था जिसके कारण प्रतिभागी इस निविदा में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सका और मात्र तीन ही प्रतिभागी निविदा में शामिल हो पाए। इस प्रकार से निविदा में पारदर्शिता नहीं रखा गया और दर के निर्धारण निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया।
जवाब में बताया गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला प्रशासन के अधीन कार्य करता है। कभी–कभी जिला प्रशासन से ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि कार्य को शीघ्रताशीघ्र करायी जाय। ऐसी परिस्थिति में कार्य की महता को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति मे निविदा का निष्पादन किया जाता है। भविष्य में निविदा निष्पादन के समयावधि का अनुपालन किया जाएगा।

## 02. लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 94812 रू0

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये की प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरूद्ध था, इस प्रकार इस कार्य में उपयोग किया समाग्री पर परिवहन मद में किया गया भुगतान निम्नानुसार है।

| मद का नाम | मात्रा | दर | परिवहन व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| स्टोन चिप्स | 48.78 m3 | 1396.79 | 68135 |
| कोरस सैण्ड | 24.68 m3 | 566.33 | 13977 |
| सिमेंट | 22.96MT | 280.20 | 6433 |
| स्टील | 3.31MT | 280.20 | 927 |
| ईंट | 4355 | 658.38 | 2867 |
| लोकल बालू | 12.16m3 | 203.37 | 2473 |
| TOTAL | | | **94812** |

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है जो अनियमित है।
कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा द्वारा बताया गया कि डूडा कार्यालय, नालन्दा में F2 agreement के तहत सामान्यतः class IV संवेदक कार्य करते हैं, किसीयोजना में class III संवेदक कार्य करते हैं। इनके कार्यों में प्रयुक्त स्टोन चिप्स, बालू, ईंट, मिट्टी आदि स्थानीय आपूर्तिकर्ता से ही प्राप्त करते हैं। उक्त परिस्थिति में इनके द्वारा एम0 एवं एन0 फार्म समर्पित करना संभव नहीं है। चूंकि सामग्री पर ही भाड़ा का भुगतान स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा ले किया जाता है और कभी– कभी तो प्रावधानिक दर से अधिक दर भी संवेदकों का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से संवेदक एम0 एवं

एन0 फार्म जमा नहीं कर पाते हैं। भविष्य में एम0 एन0 फार्म जमा करने हेतु संवेदकों को निर्देशित किया जाएगा।

**3. संवेदक को अधिक भुगतान एवं अनुचित लाभ पहँचाना मो. ₹ 0.81 लाख**

According to F2 Agreement Condition Of Contract Clause 2 the Contractor will be liable to pay as compensation an amount equal to $\frac{1}{2}$% on the said estimated cost of the whole work every day that the due quantity of work remains incompleted provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost of the work as shown in the tender.

संचिकाओ के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्य निर्धारित अवधि से 03 माह के विलंब से समाप्त हुआ परन्तु संवेदक से विलम्ब शुल्क की वसूली नही किया गया इस प्रकार संवेदक से रू 8.19 लाख का 10 प्रतिशत अर्थात रू 0.81 लाख की कटौती नहीं कर संवेदक को अदेय लाभ पहुँचाया गया।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा द्वारा बताया गया कि चूंकि उपरोक्त योजना समाप्त हो चुकी है एवं security money संवेदकों को वापस की जा चुकी है। अतः अब से चलायमान योजनाओं में अंकेक्षण द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

4. निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका 29 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनको कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष होगी तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी। लेकिन संचिका के अवलोकन में यह पाया गया कि उक्त राशि तीन वर्ष पूर्व ही दिनांक 9.7.16 को वापस की दी गयी।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा द्वारा बताया गया कि इस योजना का कार्य स–समय पूर्ण हो गया है एवं विशेष परिस्थिति में जमानत की राशि संवेदकों को लौटायी गयी है। भविष्य में नियमानुसार ही निष्पादन किया जाएगा।

**कंडिका 9–Non/short deposit**

राजस्व प्राप्ति से संबंधित रोकड़ बही की जॉच के कम में पाया गया कि Receipt के रूप में प्राप्त की गई राशि को पूर्ण रूप से रोकड़ पंजी में नहीं लिया गया है। विभिन्न प्राप्ति रसीदों से प्राप्त राशि 129000 के विरूद्ध ₹ 104500 हीं रोकड़ पंजी में दर्ज की गई है। विस्तृत विवरणी निम्न है–

| S.N | Date of receipt | RECEIPT NO. | AMOUNT | Deposited in cashbook |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-5-2011 | 755662 | 16250 | 15000 |
| 2 | 27-5-2011 | 755676 | 10000 | 7500 |
| 3 | 27-5-2011 | 755701 | 20750 | 19500 |
| 4 | 27-5-2011 | 755702 | 24500 | 23250 |
| 5 | 27-5-2011 | 755703 | 17500 | 16250 |
| 6 | 9-11-11 | 755742 | 15000 | 10000 |
| 7 | 19-08-10 | 755546 | 2250 | 2000 |
| 8 | 22-01-10 | 755468 | 5000 | 2500 |
| 9 | 15-01-10 | 755402 | 6250 | 2750 |
| 10 | 15-01-10 | 755426 | 11500 | 5750 |
| | | | 129000 | 104500 |

रोकड़ पंजी में कम राशि लिए जाने के संबंध में डूडा कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

**<u>कंडिका 10</u>–वार्ड नं0 20 बड़ी पहाड़ी में देवी स्थान से रज्जा कुआँ होते हुए श्री हेमन्त कुमार के मकान तक फिर रज्जा कुआँ से बिजली ग्रिड के बॉउडरी वॉल के दक्षिण साइड से होते हूए जिला जज साहब के निवास तक आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई नाली निर्माण एवं पी.सी.सी. ढलाई।**

निविदा आमंत्रण सूचनाः 19/2014–15 ग्रुप सं0–11
कार्य का प्रशासनिक स्वीकृतिः ₹ 47.86 लाख।
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि :₹ 49.77 लाख
B.O.Q के अनुसार राशिः ₹ 47.86 लाख
निविदा का दिनांकः 13.01.2015
निविदा भरने का अंतिम दिनांकः 08.02.2015
बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि : 07.02.2015
एकरारनामा की राशिः ₹43.07 लाख (B.O.Q के 10 प्रतिशत कम दर पर)
संवेदक का नाम :– मेसर्स तारणी कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0।
एकरारनामा सं. :– 18/F2/15-16 , 2.5.15
कार्यादेश की तिथिः– 13.4.15
कार्य समाप्त करने का दिनांकः तीन माह 12.08.2015
वास्तविक कार्य समाप्ति का दिनांकः 10.07.2015

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमुना जॉच में निम्न त्रुटियॉ/अनियमितताएँ पाई गई।

**01. <u>निविदा के लिए पर्याप्त समयावधि नहीं दिया जाना।</u>**

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(ज) v के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकोशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह की होगी। जहाँ विभाग विदेशों से आमंत्रण (बोली) प्राप्त करने की इरादा रखती है तो वहां देशी एवं विदेशी बोलीकर्त्ता दोनों के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।
नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य के लिए निविदा प्रकाशन का दिनांक 13.01.2015 एवं बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि 7.02.2015 था। जबकि उक्त नियमानुसार निविदा समर्पित करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह अर्थात 28.02.2015 होना चाहीए था परन्तु कार्यालय द्धारा निविदा बिक्री के दिन अथवा निविदा प्रकाशन से मात्र 01 (8.2.2015) दिन का समय दिया गया जो उक्त नियम का उल्लंघन था जिसके कारण प्रतिभागी इस निविदा में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सका और मात्र तीन ही प्रतिभागी निविदा में शामिल हो पाए। इस प्रकार से निविदा में पारदर्शिता नहीं रखा गया।
जवाब में बताया गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला प्रशासन के अधीन कार्य करता है। कभी– कभी जिला प्रशासन से ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि कार्य को शीघ्रताशीघ्र कराया जाये। ऐसी परिस्थिति में कार्य की महता को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति में निविदा का निष्पादन किया जाता है। भविष्य में निविदा के समयावधि का अनुपालन किया जाएगा।

**02. <u>लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 708329 रू0</u>**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का

भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये की प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच कय में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरूद्ध था, इस प्रकार इस कार्य में उपयोग किया समाग्री पर परिवहन मद में किया गया भुगतान निम्नानुसार है–

| मद का नाम | मात्रा | दर | परिवहन व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| स्टोन चिप्स | 345.95 m3 | 1396.79 | 483219 |
| कोरस सैण्ड | 176.12 m3 | 566.33 | 99742 |
| सिमेंट | 147.15MT | 280.20 | 41231 |
| स्टील | 13.79MT | 280.20 | 3864 |
| ईंट | 75019 | 658.38 प्रति हजार | 49391 |
| लोकल बालू | 151.85m3 | 203.37 | 30882 |
| TOTAL | | | **708329** |

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी के उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा द्वारा बताया गया कि डूडा कार्यालय, नालन्दा में F2 agreement के तहत सामान्यतः class IV संवेदक कार्य करते हैं, किसी किसी योजना में class III संवेदक कार्य करते हैं। इनके कार्यों में प्रयुक्त स्टोन चिप्स, बालू, ईंट, मिट्टी आदि स्थानीय आपूर्तिकर्ता से ही प्राप्त करते हैं। उक्त परिस्थिति में इनके द्वारा एम0 एवं एन0 फार्म समर्पित करना संभव नहीं है। चूंकि सामग्री पर ही भाड़ा का भुगतान स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा ले लिया जाता है और कभी–कभी तो प्रावधानिक दर से अधिक दर भी संवेदकों का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से संवेदक एम0 एवं एन0 फार्म जमा नहीं कर पाते हैं। भविष्य में एम0 एन0 फार्म जमा करने हेतु संवेदकों को निर्देर्शित किया जायेगा। राशि ₹ 708329 अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है।

3. निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका 29 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनको कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष होगी तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी। लेकिन संचिका के अवलोकन में यह पाया गया कि उक्त राशि तीन वर्ष पूर्व ही दिनांक 12.1.16 को वापस की दी गयी।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा द्वारा बताया गया कि इस योजना का कार्य स–समय पूर्ण हो गया है एवं विशेष परिस्थिति में जमानत की राशि संवेदकों को लौटायी गयी है। भविष्य में नियमानुसार ही निष्पादन किया जाएगा।